आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/ 358 दिनांक : 13-8-21

छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत निम्नलिखित योंजना की सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आंमत्रित किये गये थे जिनकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है–

क्र. सं.	छात्रवृति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु	2020–21	01.03.2021	31.08.2021

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/छात्राध्यापिका/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा–निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें।

जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहें हैं। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया हैं। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx

180
16-8-2021

Dr. Ajaykant
16/8/21

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)(2) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2020–21 / 359 दिनांक– 13.8.21

प्रेस–नोट

राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा अनुरूप आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.04.2021 थी। छात्रा / अभिभावक / महाविद्यालय से प्राप्त सुझाव अनुसार छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना में **सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) (माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु** ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 31.08.2021 की जाती है।

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2020–21 / 360 दिनांक– 13.8.21

प्रतिलिपि :– सम्पादक, राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति में छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी अंक में प्रकाशित करने का श्रम करें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/361 दिनांक– 13-8-21

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय/निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय – वर्ष 2020–21 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि में अभिवृद्धि बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रेस–नोट के माध्यम से वर्ष 2020–21 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु आवेदन करने की तिथि में दिनांक– 31.08.2021 तक अभिवृद्धि कर दी गई है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना में व्यक्तिशः रूचि लेकर छात्राओं को दूरभाष पर संपर्क कर, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस नोट जारी कर, टी.वी केबल पर निःशुल्क प्रचार करावें तथा महाविद्यालय, नगर पालिका/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर संपूर्ण सूचना चस्पा कराकर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पूर्व भरवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का छात्राओं को अधिकतम लाभ मिल सकें।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/362 दिनांक– 13-8-21
प्रतिलिपि :– प्रभारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(मानसिंह मीना)
लेखाधिकारी

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx